चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 29.06.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता

कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्ष कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री लाख सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 374/2024 धारा 376,313,323,506 भादवि0 के वांछित अभियुक्त जियालाल सिंह पुत्र स्व0 जागेश्वर सिंह निवासी द्वारिकापुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.निरीक्षक अपराध श्री लाख सिंह थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी शिवपूजन यादव

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 319/2018 धारा 498ए भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शिवऔतार पुत्र छितानी निवासी इटखरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 21.05.2018 को वादी श्री ननकू पुत्र मैकू निवासी भरकोर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि उनकी पुत्री कुसम के पति शिवऔतार उपरोक्त और ससुरालीजनों ने दहेज को लेकर उनकी पुत्री का उत्पीड़न करते थे एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर उन्होनें उनकी पुत्री की हत्या कर दी है। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 319/2018 धारा 498ए,304बी भादवि0 व ¾ द0प्र0 अधिनियम बनाम अखिलेश शिवऔतार उपरोक्त तथा उसकी मां, पिता, बड़ा भाई, छोड़ा भाई व बहन पंजीकृत किया गया था ।मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री रजनीश कुमार यादव को सुपुर्द की गया तथा बाद में तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अतर्रा श्री कुलदीप कुमार गुप्ता द्वारा संपादित की गयी। दिनाँक 24.06.2018 को आरोपी शिवऔतार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक 17.09.2018 को आरोपी तथा उसके माता-पिता के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था, विवेचना से अभियुक्त के दोनों भाई व बहन का घटना में संलिप्त होना नहीं पाया गया था। माननीय न्यायालय में साक्ष्यों के आभाव में अभियुक्त का माता/पिता के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो पाये तथा आरोपी के विरुद्ध धारा 304बी भादवि0 का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है।

(5). आज दिनाँक 29.06.2024 को जनपद न्यायाधीश चित्रकूट श्री विकास कुमार प्रथम, जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी०एन०, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, सीजेएम श्री राजेंद्र प्रसाद भारती, सचिव/अपर जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण नीलू मेनवाल ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का त्रैमासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

उन्होंने महिला बैरक में निरुद्ध महिला कैदियों, चिकित्सालय एवं पाकशाला (रसोई घर) हाई सिक्योरिटी, बैरक नंबर दो का निरीक्षण किये। जिला जज व जिलाधिकारी ने महिला बैरक का निरीक्षण के दौरान निरुद्ध महिला कैदियों से खानपान व समस्याओं के बारे में जानकारी लिए एवं बैरक में महिलाओं को कराएं जा रहे पठन-पाठन को देखा एवं कुछ महिलाओं द्वारा बैरक में लगे स्मार्ट बोर्ड पर नाम भी लिखवाया गया। तत्पश्चात उन्होंने अस्पताल वार्ड का निरीक्षण किया एवं कैदियों से उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानकारी लिए एवं निर्देशित किया कि समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करते रहें। हाई सिक्योरिटी में कैदियों से समस्याओं के बारे में जानकारी लिए।
तत्पश्चात उन्होंने पाकशाला का निरीक्षण किया जहां मीनू के हिसाब से भोजन बनते हुएं पाई गई जिला जज व जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक से कहा कि कैदियों को भोजन, नाश्ता प्रतिदिन मीनू के अनुसार शुद्धता के साथ दिया जाए इसमें कोई अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने भजन कीर्तन करने वाले कुछ कैदियों से उनके कुशल छेम के बारे में जानकारी लिए एवं कहा कि आप लोग सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं एवं करते भी रहे।
निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक श्री शशांक पांडेय, जेलर श्री राजीव कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

(6).आज दिनाँक 29.06.2024 को पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में नये कानून के लिये 01 दिवसीय प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन सिंह, अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव तथा जिला कॉर्डिनेटर सीसीटीएनएस श्री मनीष वर्मा द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों, दीवान/मुन्सियों एवं सीसीटीएनएस का कार्य देख रहे पुलिस कर्मियों को दिनाँक 01.07.2024 से लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की धाराओं के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त पीपीटी एवं वीडियोज के माध्यम से विस्तृत रुप से पढ़ाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सभी को बताया गया कि कि नये कानून के सम्बन्ध में कोई भी कठिनाई आती है तो इसके समाधान हेतु पुलिस मुख्यालय लखनऊ स्तर पर तथा जनपद स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है। सभी को पुलिस मुख्यालय एवं जनपद स्तर पर बनायी गयी समन्वय समिति के समस्त सदस्यों के नम्बर उपलब्ध कराये गये जिससे किसी प्रकार की समस्या आने पर इन नम्बरों पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।

इस कार्यशाल में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला, समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित कुल 34 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।